

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारों द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) सपवित्त नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा यू.पी. बैंक बस्ती के ऋण खाते में बचक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जन्मसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रौ) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा बोधार्थ सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को दिनांक 21.03.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती में मुहुरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पुरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक 22.03.2023 को समय दोपहर 12:00 बजे खोली जाएगी। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (₹0)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
शाखा: विक्रमजोत, सम्पर्क- +91 7394040025					
1.	ऋणी: मेसर्स मनोज-विक्रमजात स्टोर, प्रोप. मनोज पुत्र रामदीन, ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: (1) श्री अनिल कुमार पुत्र रामदीन, ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, जिला-बस्ती (2) रामदीन पुत्र वृत्तन्ती, ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती	सेल डीड संख्या 5598 के अनुसार सम्पत्ति / भूमि का साम्यिक बंधक पंजीकृत 21.09.2007, बुक सं. 1 भाग सं. 1718, पेज सं. 299 से 318, क्षेत्रफल- 4.661 वर्ग मी., स्थित ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तप्या-बेलवा, परगना-अमोड़, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती, स्वामी-रामदीन पुत्र वृत्तन्ती, ग्राम-विक्रमजोत, पोस्ट-शंकरपुर, तहसील-हरैया, जिला-बस्ती चौहद्दी: पूर्व: मो. उमर का मकान, पश्चिम: सीसी रोड, उत्तर: यासीन अहमद का मकान, दक्षिण: विखनाथ का मकान	09.12.2021 03.03.2021 सांकेतिक कब्जा	₹. 4,69,549.00 + दिनांक 09.12.2022 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	6,40,000.00 64,000.00
शाखा: रामपुर, सम्पर्क- +91 9554704000					
2.	ऋणी: श्री फौजान अहमद पुत्र इस्तियाक अहमद, ग्राम-रामपुर, पो-रामपुर, परगना-महुली पश्चिम, तहसील-बस्ती, जिला-बस्ती जमानतकर्ता / बंधककर्ता: (1) श्री अब्दुल कलाम पुत्र अरब, ग्राम एवं पोस्ट-रामपुर, बस्ती (2) मकसूद अहमद पुत्र अकील मो., ग्राम एवं पोस्ट-रामपुर, बस्ती	सम्पत्ति / भूमि का साम्यिक बंधक / पंजीकृत बंधक प्लॉट सं. 547 मी, स्थित ग्राम-रामपुर, परगना-महुली पश्चिम, तहसील-बस्ती सदर, जिला-बस्ती, क्षेत्रफल: 380 वर्ग मी., स्वामी-अब्दुल कलाम पुत्र मो. अरब, ग्राम एवं पो-रामपुर, परगना-महुली पश्चिम, तहसील-बस्ती सदर, जिला-बस्ती चौहद्दी (डीआ के अनुसार): पूर्व: भूमि कमाल अहमद, पश्चिम: बाग एवं राम अवतार की कृषी भूमि, उत्तर: अब्दुल एवं नूर अहमद की खाली भूमि, दक्षिण: रामपुर देवविया रोड	11.10.2021 04.01.2022 सांकेतिक कब्जा	₹. 6,86,436.00 + दिनांक 11.10.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	33,34,000.00 3,33,400.00
शाखा: कलवारी, सम्पर्क- +91 8858261262					
3.	ऋणी: श्री लालता पुत्र जयकरन, ग्राम-गोविन्दपुर, पो-कलवारी, जिला-बस्ती-272301 जमानतकर्ता / बंधककर्ता: (1) कमल प्रसाद पुत्र जयकरन, ग्राम-गोविन्दपुर, पो-कलवारी, जिला-बस्ती-272301 (2) भगवान दास पुत्र अभिराज, ग्राम-गोविन्दपुर, जिला-बस्ती-272301	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित, श्री लालता पुत्र जयकरन के नाम से स्थित, शेड एरिया, प्लॉट सं. 427मिन, क्षेत्रफल- 0.051 हेक्टर, स्थित ग्राम-गोविन्दपुर, तप्या-कलवारी, परगना-ईस्ट, तहसील एवं जिला-बस्ती (पंजीकृत बंधक दिनांक 08.08.2018) चौहद्दी: उत्तर: दीप नारायण की भूमि, दक्षिण: बाग / खलिहान, पूर्व: चक मार्ग, पश्चिम: कोमल की भूमि	17.06.2022 22.08.2022 सांकेतिक कब्जा	₹. 6,54,636.00 + दिनांक 10.06.2022 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	16,13,860.00 1,61,386.00
शाखा: सोनहा, सम्पर्क- +91 8874946361					
4.	ऋणी: श्री राज किशोर पुत्र राजाराम (पी.के. ज्वैलरी) पता-ग्राम-खैरा पो-घोसाद, तहसील-मानपुर, जिला-बस्ती (कानूनी उत्तराधिकारी: श्रीमती गंगोत्री देवी पत्नी राज किशोर, ग्राम-खैरा, पो-घोसाद, टप्या-छपिया, मानपुर, बस्ती) जमानतकर्ता / बंधककर्ता: (1) श्रीमती गंगोत्री देवी पत्नी राज किशोर, ग्राम-खैरा, पो-घोसाद, टप्या-छपिया, मानपुर, बस्ती (2) प्रदीप कुमार सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, ग्राम एवं पो-मानपुर, बस्ती	भूमि/मवन/प्लॉट का साम्यिक/पंजीकृत बंधक, सेल डीड 1756/09 के माध्यम से खरीदा, क्षेत्रफल 13.94 वर्ग मी., स्थित ग्राम-मानपुर, तप्या-छपिया, परगना-रसूलपुर, तहसील-मानपुर, बस्ती, स्वामी-गंगोत्री देवी पत्नी राज किशोर के नाम से, निवास ग्राम-खैरा, पो-घोसाद, मानपुर, बस्ती चौहद्दी: पूर्व: बस्ती डूमरिया गंज रोड, पश्चिम: राम प्रसाद मकान, उत्तर: राम प्रसाद मकान, दक्षिण: जय राम सिंह मकान	22.07.2021 13.10.2021 सांकेतिक कब्जा	₹. 9,81,690.00 + दिनांक 22.07.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	11,32,000.00 1,13,200.00

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहुरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे को ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में बस्ती में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वाच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी बोली के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन रुकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रुकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वाच्च बोली को अचिकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रुकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रुकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहा है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों का निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तैयार जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodaupbank.in/sarfenotice.php> देखें।

सारफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।